प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 03 दिसम्बर,2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सौरभ पुत्र श्री सुभाष, निवासी जनपद-मेरठ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक,(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-31281/प्रोबे0-5-दया0 बैठक दिनांक 21-07-2025, दिनांक 05.08.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी सौरभ पुत्र श्री सुभाष, ग्राम-बडला कैथवाडा, थाना-मुण्डली, जनपद-मेरठ का निवासी है। बन्दी द्वारा ग्राम प्रधान के चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 26.09.2010 को 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रायफल तमंचा, फरसा व बल्लम से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-1030/2011, भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 324/149, 452, 148 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), मेरठ के दण्डादेश दिनांक 23.09.2014 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 10.05.2019 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए मा० सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 06.06.2025 तक अपरिहार 12 वर्ष, 03 माह, 27 दिन तथा सपरिहार 15 वर्ष, 00 माह, 12 दिन की सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक, मेरठ द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को प्रभावित करने एवं समाज में भय व्याप्त करने की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने की प्रबल सम्भावना होने, जेल में और आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार के पास पर्याप्त सम्पत्ति एवं साधन है वह अपनी सम्पत्ति के प्रभाव में कोई भी अपराध कारित कर सकता है। परिवार के पास किसी प्रकार का कोई आर्थिक अभाव नहीं होने दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई का प्रबल विरोध करते हुए संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा पुलिस अधीक्षक, मेरठ की आख्या से सहमत होते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सौरभ (बन्दी संख्या-19690) पुत्र श्री सुभाष, निवासी जनपद-मेरठ की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-1470/2025/1794(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।